

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी- सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 132/2022

1. राजेन्द्र माहिच पुत्र गोविन्दराम उम्र 35 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर

—वादी—

बनाम

1. जगदीश पुत्र फूला
2. भवंरलाल पुत्र फूला
3. महेश कुमार पुत्र शंकरलाल समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शखा कटराथल
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, सीकर

— प्रतिवादीगण —

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

तहसीलदार सीकर के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 4143 दिनांक 31.08.2022 के अनुसार वकील उभयपक्ष की सहमती से अंतिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा।

तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार अमल दरामद करें।


(गरिमा लाटा) 13/9/22

उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	36.00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	36.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		41.00	जोड़

आज तारीख 13.09.22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

 13/9/22
उपखण्ड अधिकारी सीकर